

Division-Varanasi							District- Chandauli				
S.N.	Block /district name	Vehicle name	Vehicle no.	Taxi pramit	Date of Hiring	Vailid Date	Oner Name	mobile no.	Driver Name	Mobile no.	Agreement copy attached
1	मुख्यालय	स्कॉरिप्टी	UP67AT-5454	UP65/AITP 2018/1037	9.082018	31.03.2018	दीपदयाल श्रीवास्तव	9415307505	रामेश यादव	8004309003	yes
2	मुख्यालय	जाइलो	UP67K- 0903	CC/STA/UP/2018/03813	9.082018	31.03.2018	दीपदयाल श्रीवास्तव	9415307505	सदनम	7752881516	yes
3	चन्दनी	बोलोरे	UP45T- 4409	CC/STA/UP/2015/01116	9.082018	31.03.2018	नवदीप सिंह	9415307505	निकाश यादव	8858756315	yes
4	नियमतावाद	बोलोरे	UP67M-0886	UP65/102/MCAB/2016/6516	9.082018	31.03.2018	सलाहदीन	9415307505	वर्षभूदीन	8808894397	yes
5	सललैंड	बोलोरे	UP67T-4956	UP65/102/AITP/2013/712	9.082018	31.03.2018	सुरेन्द्र सिंह यादव	9415307505	कुमा निशा	737685854	yes
6	वारहनी	टाटा जेस्ट	UP67AT-0769	UP/65/AITP/2018/308	9.082018	31.03.2018	विनादेवी	9415307505	ताड़केवर नाथ तिवारी	8174927672	yes
7	बाहिनी	टाटा जेस्ट	UP65FT- 9989	UP/65/AITP/2018/83	9.082018	31.03.2018	शैलेन्द्र कुमार याण्डेय	9415307505	शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय	9454580245	yes
8	काशीबाज	बोलोरे	UP70ET-1961	UP/70/102/AITP/2015/621	9.082018	31.03.2018	सराजा सिंह	9415307505	रिषु कुमार	9794543098	yes
9	धानपुर	बोलोरे	UP61SY-2018	UP/65/AITP/2018/975	9.082018	31.03.2018	रामगतल पासवान	9415307505	पकज केशरी	9125295388	yes
10	चकिया	सुनी गोल्ड	UP52T-9810	UP/65/CC/MOTO/2018/128	9.082018	31.03.2018	सुशील कुमार श्रीवास्तव	9415307505	सत्यांश कुमार	9532852944	yes
11	नौगढ़	बोलोरे	UP64AT-4867	UP/63/AITP/2018/199	9.082018	31.03.2018	गोलाप्रसाद केशरी	9415307505	कालकृष्ण कुमार	7355698916	yes

मुख्य विधायक सभा अधिकारी,

 चन्दनी।

कोषागार चन्दौली

भारतीय गैर-न्यायिक

26 JUL 2016

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE
HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EF 922479

अनुबंध-पत्र

प्रथम पक्ष
द्वितीय पक्ष

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति चन्दौली।
मेसर्स महादेव इण्टरप्राईजेज, वार्ड नं०-१०, इलियाँ मोड़, गौतम नगर चन्दौली
(सेवाप्रदाता) / ड्रवेल्स एजेन्सी

यह अनुबंध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य सचिव-जिला स्वास्थ्य समिति (प्रथम पक्ष) एवं मेसर्स महादेव इण्टरप्राईजेज, वार्ड नं०-१०, इलियाँ मोड़, गौतम नगर चन्दौली (द्वितीय पक्ष) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के भ्रमण एवं पर्यवेक्षण के लिये जनपद मुख्यालय पर दो वाहन तथा ब्लाक स्तरीय पर सामु०/प्रा०स्वा० केन्द्रों पर एक-एक वाहन के संचालन/आपूर्ति के संबंध में आज दिनांक-०९.०८.२०१८ को जनपद चन्दौली में सम्पादित किया गया। इस अनुबंध की अवधि दिनांक-०९.०८.२०१८ से ३१.०३.२०१९ तक होगी एवं सेवा प्रदाता का कार्य सन्तोषप्रद होने की स्थिति में कार्यावधि बढ़ाई जा सकेगी। यह अनुबंध निम्न शर्तों के अधीन सम्पादित की जा रही है -

- द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को अनुमोदित बन्द बाड़ी जीप माडल वाहन, जनपद मुख्यालय एवं आवंटित ब्लाक स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु प्रति माह रुपया ३१८००.०० की दर पर उपलब्ध करायेगा।
- द्वितीय पक्ष को वाहन की निम्न शर्तों का पालन करना होगा-
 1. निविदादाता द्वारा ऑफर की जा रही दर, अनुबंध होने की तिथि से एक वर्ष के लिए अनुमन्य होगी। इसके उपरान्त, वार्षिक कार्य निष्पादन कि गुणवत्ता परीक्षण के आधार पर, यदि दोनों पक्ष सहमत हो तो इसका विस्तार अगले एक वर्ष के लिए, पूर्व नियम व शर्तों के आधार पर विस्तारित किया जा सकता है, जब तक कि सक्षम स्तर से अनुमति न प्राप्त कर ली जाये।
 2. प्रथम पक्ष को निम्नलिखित परिस्थितियों में यह अधिकार होगा कि वह सेवा प्रदाता की स्वीकृत निविदा दर को लिखित नोटिस देकर, अंशतः या पूर्णतः समाप्त कर दे-
 - (a) सेवा प्रदाता, निविदा/अनुबंध के शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान न करें।
 - (b) सेवा प्रदाता दिवालिया (Bankrupt) हो जाये या उसका परिसमाप्त (Liquidation) हो जाये।
 - (c) सेवा प्रदाता, ससमय वाहन उपलब्ध कराने में असफल हो जाये।
 - (d) सेवा प्रदाता के स्वामित्व वाली किसी सम्पत्ति पर कोई रिसीवर नियुक्त कर दिया जाये।
 3. प्रथम पक्ष, को आवश्यकतानुसार वांछित वाहन संख्या में कमी या वृद्धि करने का अधिकार होगा।
 4. वाहन उपयोग कर्ता द्वारा वाहन सम्बन्धी शिकायत किये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष पर उचित दण्ड आरोपित कर सके।

26/8/2018
Signature

5. आयकर व अन्य सम्बन्धित नियमों के अधीन टी.डी.एस. कटौती करने के उपरान्त ही वाहन बिल का भुगतान द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा किया जायेगा।
6. प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि सेवा शर्तों/नियमों/अनुबन्ध के उल्लंघन की स्थिति में एक माह की लिखित नोटिस देकर, सेवा प्रदाता के अनुबन्ध को समाप्त कर दें।
7. वाहन का उपयोग माह में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण गतिविधियों को पूर्ण करते हुए राजकीय कार्यों के उपयोग हेतु भी प्रयोग किया जा सकता है।
8. सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित वाहन को प्रत्येक माह में न्यूनतम 1500 किमी⁰ चलाया जाना आवश्यक है। यदि कोई वाहन माह में 1500 किमी⁰ से कम चलता है तो उसका भुगतान आनुपातिक रूप से किया जायेगा।
9. वाहन प्रत्येक दिन न्यूनतम 08 घण्टे तथा आवश्यकतानुसार कभी भी वार्षिक किये जाने पर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
10. वाहन के साथ लॉग बुक होना आवश्यक है, जिस पर वाहन संख्या, माइलेज, मीटर रीडिंग तिथि, समय, यात्रा का स्थान, यात्रा का उद्देश्य पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से अंकित हो तथा यात्रा करने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो। लॉग बुक का रख-रखाव वाहन चालक द्वारा किया जायेगा।
11. वाहन के बिल पर वाहन संख्या तथा उपयोग माह का अंकित किया जाना आवश्यक होगा। प्रत्येक माह के बिल के साथ, (GPS) डाटा रिपोर्ट तथा लॉग बुक की छायाप्रति संलग्न कर माहवार प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
12. प्रत्येक वाहन पर सफेद सीट कवर लगा होना आवश्यक है, जो समय-समय पर सेवा प्रदाता द्वारा धुलाई कराया जायेगा एवं बदला जायेगा।
13. प्रत्येक वाहन का चालक, निर्धारित पोशाक (Dress) में ड्रूटी पर रहेगा।
14. प्रत्येक वाहन का मीटर सही दशा में होना आवश्यक है।
15. वाहन और वाहन चालक सक्षम स्तर से पूर्व अनुमति के बिना नहीं बदले जायेंगे।
16. वाहन के दुर्घटना अथवा रिपेयर की स्थिति में सेवा प्रदाता द्वारा, पूर्व सूचना/अनुमति के आधार पर, तत्काल वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है, अन्यथा जिला स्वास्थ्य समिति, द्वारा रु. 1000.00 प्रतिवाहन/प्रतिदिन का दण्ड तथा बाजार दर पर प्रतिदिन का किराया (जितने दिन वाहन अनुपलब्ध रहता है) वसूल किया जायेगा।
17. सेवा प्रदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका वाहन ठीक दशा में हो तथा उसमें यात्रा हेतु पर्याप्त ईधन (पेट्रोल/डीजल) हो। वाहन पर खर्च होने वाले समस्त व्यय (कर/शुल्क/ईधन/मेट्रिनेस व्यय आदि) का वहन सेवा प्रदाता द्वारा स्वयं किया जायेगा किसी भी दशा में व्यय हेतु यात्रा करने वाले कार्मिक से नहीं कहा जायेगा।
18. समस्त वाहन चालकों के मोबाइल नम्बर, सम्बन्धित उपयोगकर्ता अधिकारी, को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। वाहन चालक प्रत्येक दिन, सम्बन्धित उपयोगकर्ता अधिकारी के समक्ष सासमय उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। बिना अनुमति के वाहन चालक कार्यस्थल से नहीं जायेगा।
19. द्वितीय पक्ष जमानत राशि रु0 327000.00 का राष्ट्रीय बचत पत्र जो जिला स्वास्थ्य समिति के नाम बन्धक हो कार्यालय में अनुबन्ध की तिथि से 07 दिन के अन्दर जमा करेगा, कार्य निष्पादन, बैंक गारण्टी, सेवा अनुबन्ध के समाप्त के 60 दिन बाद तक वैध होना आवश्यक है। यदि सेवा विस्तार किया जाता है तो तदानुसार बैंक गारण्टी में भी संशोधन सेवा प्रदाता द्वारा कराया जायेगा।

विवाद निस्तारण:-

1. (a) मैत्रीपूर्ण समझौता (Amicable Settlement): सभी पक्ष इस अनुबन्ध के सम्बन्ध में या इससे सम्बन्धित सभी विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिये यथासम्भव प्रयास करेंगे।
2. (b) मध्यस्थता (Arbitration): यदि इस अनुबन्ध के सम्बन्ध में या इससे सम्बन्धित विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से 30 दिन के भीतर हल नहीं कर लिया जाता है तो दो सप्ताह के अन्दर कोई भी पक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम (Arbitration & Conciliation Act) 1996 के अन्तर्गत मध्यस्थता (Arbitration) हेतु जा सकता है। वाराणसी मण्डल के मण्डलायुक्त इस सम्बन्ध में मध्यस्थ की भूमिका में होंगे।
3. (c) अनुबन्ध/निविदा के सम्बन्ध में विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा जनपद न्यायालय चन्दौली में होगा और उनका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा।

स्थान-मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय-चन्दौली।

दिनांक-

हस्ताक्षर.....
(द्वितीय पक्ष)

हस्ताक्षर.....
(प्रथम पक्ष)

